महिला सशक्तीकरण : कानूनी आयाम

श्रीमती अन्जू[1]

मानव जाति के सृजन, पोषण एवं संरक्षण का गुस्तर दायित्व महिलाओं पर है। समाज मे नारी की स्थिति जितनी मजबूत होगी समाज उतना ही विकसित और प्रभावकारक होगा क्योंकि स्त्रियां समाज का आधा आधार होती है जो समाज को सम्बल प्रदान करती है। परन्तु विश्व के लगभग सभी समाजों में महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार और शक्ति प्राप्त नही है। इसका प्रमाण है कि महिलाओं के अधिकार हनन और लिंग आधारित हिंसा व्यापक पैमाने पर जारी है।

भारतीय वांड़मय और संस्कृति में महिलाओं को गौरवपूर्ण स्थान दिया गया है उसे जननी, भगिनी, आत्मजा व भार्या के गुणों से विभूषित कर उच्च स्थान प्रदान किया गया हैं । वहीं तस्वीर के दूसरे पहलू पर भारतीय समाज और जीवन में महिलाओं के प्रति द्विमुखी व्यवहार परिलक्षित होता हैं। भारत में किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार प्रति 24 मिनट में एक महिला यौन शोषण, प्रति 43 मिनट में अपहरण, प्रति 54 मिनट में बलात्कार का शिकार होती है। जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कराये गये सर्वेक्षण में यह आंकड़ा प्रति 3 सेकेण्ड में यौन शोषण तथा प्रति 6 मिनट में महिला के बलात्कार का हैं।

लिंग आधारित भेदभाव के पीछे हालांकि सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्वार्थ स्वीकार किये जाते है किन्तु इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि लिंग आधारित भेदभाव का मुख्य कारण पुरूष व स्त्री की भूमिकाओं में असमान वितरण हैं। विडम्बना यह है कि स्वयं महिलाओं ने लिंग संबंधी भेदभावों को चाहे अनचाहे जीवन के अपरिहार्य अंग के रूप में स्वीकार किया हैं। परन्तु अब महिलायें अपने इस शोषण और अन्याय के प्रति जागरूक हो रही है और सामाजिक, राजनीतिक विधानों के द्वारा अपनी आवाज बुलंद कर रही है।

1903 में अमरीका में 'वूमेन ट्रेड यूनियन' का गठन कर महिला–विकास का प्रथम संगठित प्रयास किया गया। पाँचवे दशक में न्छव् द्वारा मानवाधिकारों की घोषणा के साथ ही महिला समानता की बात विश्व स्तर पर उठी और फिर महिला सशक्तीकरण के द्वारा महिला विकास की मांग की गयी कि प्रत्येक महिला भी आत्मविश्वास एवं दृंढ़ संकल्प के साथ प्रत्येक पुरूष के साथ कंधे से कंधा उठाकर चल सकती हैं। यहां प्रश्न यह उत्पन्न होता है किं महिला सशक्तीकरण क्या है?

महिला सशक्तीकरण के माध्यम से महिलाओं के अन्दर छिपी हुई उस शक्ति को उभारने का प्रयास मात्र है जिसके द्वारा उस स्वाभिमान, सम्मान, स्वतन्त्रता और समानता प्राप्त हो सकें, महिलायें भी राष्ट्र के निर्माण और उसके उन्यन में अहम भूमिका का निर्वाह कर सकती है इस आहवान के साथ महिला सशक्तीकरण न केवल भारत में वरन विश्वभर में एक सामाजिक–राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है।

[1] प्रवक्ता– राजनीतिक विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय मानिकपुर, चित्रकूट, उ0 प्र0

महिलाओं से सम्बन्धित योजनायें

महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु सरकारी एवं गैर संरकारी स्तर पर कई प्रयास किये गये। महिलाओं की सुरक्षा हेतु 31 जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कर इसे शक्ति सम्पन्न बनाया गया ताकि यह मात्र 'दिखावटी वस्तु' बन कर न रह जाये। महिलाओं के वैधानिक अधिकारों की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण अधिनियम एवं परियोजनायें बनायी गयी तथा बाल–विवाह निरोधक अधिनिकयम 1929, हिन्दू स्त्रियों का सम्पत्ति पर अधिकार अधिनियम 1937, मुस्लिम शरीयत अधिनिमय 1937, मुस्लिम विवाह–विच्छेद अधिनियम 1939, अलग रहने तथा भरण–पोषण हेतु स्त्रियों का अधिकार अधिनियम 1946, विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिन्दू विवाह अधिनियम 1955, हिन्दू विवाह अधिनियम 1956, हिन्दू दत्तक ग्रहण एव उत्तराधिकार आधिनियम 1956, अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, चिकित्सा गर्भपात अधिनियम 1971, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, सती (निवारण) अधिनियम 1937, महिलाओं को अशिष्ट प्रतिरूपण के विरूद्ध वर्ष 1986 में कानून बनाया गया, 1994 में कन्या भ्रूण हत्या को कानून बना कर प्रतिबन्धित किया गया घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम 2005, हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005, आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक 2013 को मार्च 2013 को मंजूरी प्रदान कर महिला–उत्पीड़न के विरूद्ध एक कारगर पहल की गयी।

इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा कुछ प्रमुख उपयोगी योजनायें कस्तूरबो गांधी शिक्षा योजना 1997, स्त्री शक्ति पुरस्कार योजना 2000, महिला स्वधारा योजना 2001, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2001, जीवन भारती, महिला सुरक्षा योजना 2003, वन्दे मातरम् योजना 2004, कस्तूरबा विद्यालय योजना 2004 लागू कर स्त्री–दशा सुधार में कारगर पहल की गयी।

राज्य सरकारों द्वारा भी महिला विकास की कुछ प्रमुख योजनायें स्वास्थ्य सखी योजना, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किशोरी बालिका योजना, कामधेनु योजना, अपनी बेटी अपना धन योजना का श्री गणेश हरियाणा सरकार ने किया। इसके साथ ही भारत सरकार विपदाग्रस्त, कामकाजी कठिन परिस्थितियों में जीवन–यापन करवाने, प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित, वेश्यावृत्ति और अवैध देह व्यापार से जुड़ी व दहेज व बालात्कार की विकास महिलाओं के उन्नयन के लिये भी प्रयास कर रही हैं। 21 वीं शताब्दी महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक क्रान्तिकारी परिघटना हैं। वास्तव में इसे महिला शताब्दी कहा जायें तो अतिश्योक्ति न होगा।

महिला सशक्तीकरण व विकास में प्रमुख बाधायें

उपरोक्त सुधारों व संवैधानिक–वैधानिक उपायों द्वारा यद्यपि सैद्धान्तिक रूप सें महिला विकास में सुधार तो हुआ है परन्तु व्यवहारिकता में इनके प्रयोग में अभी भी अनेक बाधायें हैं। जैसा कि फेमिंना के दिसम्बर अंक 1991 के संपादकीय में नारी उत्पीड़न पर टिप्पणी करते हुये लिखा है कि ''लगता था कि आजादी के बाद महिलाओं की स्थिति बेहतर होगी, नई शिक्षा एवं नई आधुनिकता समाज में जाग्रति लायेगी और महिलायें पुरूषों की तरह समान अवसर पाकर एक नये समाज की संरचना में हाथ बटायेगी लेकिन दुर्भाग्य से वैसा नहीं है। महिलाये आगे जरूर आयी है और आज लगभग हर क्षेत्र में वह पहले की तुलना में ज्यादा दिखाई दे रही है पर महिला–उत्पीड़न की घटनायें कम नहीं हुई है। यह भी एक सच्चाई है कि उत्पीड़न के तौर–तरीकों में भले ही फर्क है,

पर शहरी और ग्रामीण महिलायें समान रूप से अवहेलना, उपेक्षा और दमन का शिकार हो रही हैं। लैगिंक भेदभाव भारत में नारी सशक्तीकरण की दिशा में एक बड़ी बाधा है। एक सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार देश में प्रतिवर्ष एक करोड़ कन्यायें जन्म लेती है जिसमें से लगभग 20 लाख को जन्म से पहले मौत की नींद सुला दिया जाता है। लेकिन इंडियन मेडिकल एशोसियेशन का मानना है कि देश में प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख कन्या भ्रूण नष्ट किये जाते हैं।''

लैंगिक भेदभाव को 2011 की जनगणना में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता हैं।

तालिका–1

क्र0 सं0	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	लिंगानुपात	रैंक/स्थान
01	पंजाब	893	27
02	सिक्किम	889	28
03	जम्मू–कश्मीर	883	29
04	अंडमान एवं निकोबार	878	30
05	हरियाणा	877	31
06	दिल्ली	866	32
07	चण्डीगढ़	818	33
08	दादर एवमं नागर हवेली	775	34
09	दमन एवं द्वीप	618	35

भारत में आज भी शिक्षा, पोषण, चिकित्सीय सुविधा तथा सामान्य देखभाल के मामले में लड़के तथा लड़कियों के प्रति भेद किया जाता हैं। वर्तमान में अथक प्रयासों के बाद बने सामाजिक विधानों का सहारा लेकर अपने शोषण व अन्याय का मुकाबला कर रही अनेक महिला संगठन प्रयासरत है परन्तु आज भी राजनीतिक, सामाजिक विधान उन्हें सही न्याय व अधिकार प्राप्त नहीं करा पर रहे है। जस्टिस देसाई के अनुसार, 'महिला संगठन के लिये बनाये गये कानून मात्र कागजी हैं क्योंकि न्याय पाने के लिये महिलाओं को लम्बी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अन्मयस्क न्याय पालन का सामना करना पड़ता है। महिला मानसिकता शिकायत न कर चुपचाप अन्याय सहती है जिसके फलस्वरूप वह विद्रोह न कर चुपचाप अत्याचार व अन्याय सहन करना अधिक पसंद करती हैं।'

अब वक्त आ गया है कि हम थोथे कानून को बदल कर कारगर ढंग से महिला मुक्ति व महिला विकास की ओर बढ़े क्योंकि आने वाले कल को सुधारने के लिये हमें

आज की महिला की स्थिति में सुधार लाना होगा, इस हेतु हमें रूढ़िवादी व परम्परागत मानसिकता का त्याग कर उदारवादी व विकसित दृष्टिकोण अपनाना होगा क्योंकि महिलाओं को सबल व सुदृढ़ बनाकर ही हम देश को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सुदृढ़ बना सकते है जैसा कि प्रथम प्रधानमंत्री पं0 जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि, ''जब महिलायें आगे बढ़ती है तो परिवार आगे बढ़ता है, समाज आगे बढ़ता है और राष्ट्र भी अग्रसर होता है।''

सन्दर्भ सूची

- श्रीवास्तव सुधारानी, 'भारत में महिलाओं की वैधानिक स्थिति', कामनवेल्थ पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
- अग्निहोत्री, रू. एन.– महिला सशक्तीकरण और कानून, सरस्वती प्रकाशन
- राजकुमार–2007– भारतीय महिला सामाजिक एवम् सांस्कृतिक अध्ययन, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस
- राजकुमार–2008 नारी शोषण समस्यों व समाधान – अर्जुन पब्लिशिंग हाउस
- फेमिना मासिक पत्रिका, टाइम्स ऑफ इंडिया प्रकाशन
- कुरूक्षेत्र मार्च 2006
- समसामयिक घटना चक्र
- भारत की जनगणना – 2011
- योजना –अप्रैल–2011